भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2163

12 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

पीएमजीकेएवाई

2163. श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के लक्ष्यों और उद्देश्यों का पुन: आकलन करके इसके अंतर/संक्रमणकालीन फोकस को वैश्विक महामारी राहत के स्थान पर पांच वर्षीय कार्यक्रम में परिवर्तित करने की दृष्टि से तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पीएमजीकेएवाई ने अपने आरंभिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, महामारी के दौरान खाद्य असुरक्षा को कम करने में अपने आरंभिक इच्छित परिणाम प्राप्त किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो आवंटित खाद्यान्न की मात्रा कितनी है और समय के साथ पीएमजीकेएवाई के लिए संबद्ध लागतों में कितना परिवर्तन हुआ?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को देश में कोविड-19 प्रकोप के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को होने वाली समस्याओं को कम करने के विशिष्ट उद्देश्य से शुरू किया गया था। कोविड संकट को देखते हुए, पीएमजीकेएवाई के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों के लिए नियमित आबंटन के अतिरिक्त नि:शुल्क खाद्यान्न का आबंटन किया गया। पीएमजीकेएवाई (चरण I-VII) के तहत 28 माह की अवधि के लिए लगभग 1118 लाख टन खाद्यान्न आबंटित किया गया था, जिसका कुल नियोजित वित्तीय परिव्यय लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपये था।

...2/-

चरणवार विवरण निम्नानुसार है:

कोविड के दौरान पीएमजीकेएवाई की शुरुआत	अवधि	आबंटित मात्रा (लाख टन में)	नियोजित वित्तीय परिव्यय
चरण-I (3 माह)	अप्रैल'20 – जून'20	120 लाख टन	44,834 करोड़ रूपये
चरण-II (5 माह)	जुलाई'20- नवंबर'20	201 लाख टन	68,351 करोड़ रूपये
चरण-III (2 माह)	मई'21–जून'21	80 लाख टन	26,602 करोड़ रूपये
चरण-IV (5 माह)	जुलाई'21- नवंबर'21	199 लाख टन	67,266 करोड़ रूपये
चरण-V (4 माह)	दिसंबर'21- मार्च'22	159 लाख टन	53,344 करोड़ रूपये
चरण-VI (6 माह)	अप्रैल'22-सितंबर'22	239 लाख टन	85,838 करोड़ रूपये
चरण-VII (3 माह)	अक्टूबर'22-दिसंबर'22	120 लाख टन	44,762 करोड़ रूपये
कुल (28 माह)		**1,118** लाख टन	**3.91 लाख करोड़ रूपये**

गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को कम करने और गरीबों की सहायता के लिए कार्यक्रम की राष्ट्रव्यापी एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार ने पीएमजीकेएवाई के तहत दिनांक 1 जनवरी 2023 से एक वर्ष की अवधि के लिए अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि 1 जनवरी 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है।

...3/-

गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के संदर्भ में पीएमजीकेएवाई के लाभार्थियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए और राज्यों में एकरूपता बनाए रखने के लिए, सरकार ने दिनांक 1 जनवरी, 2024 से पांच वर्ष की अवधि के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों (अर्थात अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों) को नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान करना जारी रखने का निर्णय लिया है, जिसका अनुमानित वित्तीय परिव्यय 11.80 लाख करोड़ रुपये है, जिसे पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

यह स्कीम सम्पूर्ण देश में एक समान मूल्य और मात्रा के साथ एकीकृत संस्थागत तंत्र प्रदान करती है और वन नेशन वन राशन कार्ड (ओ एनओआरसी) के तहत लाभार्थियों की विशेष रूप से प्रवासियों की समस्याओं को दूर करती है। एकीकृत पहल के कार्यान्वयन में केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलों और संबंधित सब्सिडी के बोझ के साथ-साथ पीएमजीकेएवाई के तहत लाभार्थियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना शामिल है।

दिनांक 1 जनवरी 2024 से पांच वर्ष के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न का प्रावधान राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा को संबोधित करने के लिए सरकार की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और दृष्टिकोण को दर्शाता है। नि:शुल्क खाद्यान्न का प्रावधान समाज के प्रभावित तबके की किसी भी वित्तीय समस्या को स्थायी तौर से कम करेगा और लाभार्थियों के लिए शून्य लागत के साथ दीर्घकालिक मूल्य निर्धारण रणनीति सुनिश्चित करेगा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण है।

*****